डीजी परिपत्र संख्या–31/2022

देवेन्द्र सिंह चौहान,
आईपीएस

पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश
पुलिस मुख्यालय,
गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ–226002

दिनांकः सितम्बर 22, 2022

विषयः महिला सम्बन्धी अपराधों यथा–पाक्सो अधिनियम, बलात्कार (लैंगिक अपराध), अपहरण एवं एसिड अटैक आदि में पीड़िता का अविलम्ब/तत्काल चिकित्सीय परीक्षण कराने के सम्बन्ध में।

प्रिय महोदय/महोदया,

प्रदेश के विभिन्न जनपदों में विविध महिला सम्बन्धी अपराध यथा–पाक्सो अधिनियम, बलात्कार, अपहरण एवं एसिड अटैक आदि में पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण कराने में जानबूझकर अनावश्यक विलम्ब की घटनायें प्रायः संज्ञान में आती हैं। पीड़िता के चिकित्सीय परीक्षण में विलम्ब से न केवल अपराध के साक्ष्यों का विलोपन होता है वरन् इससे पीड़ित पक्ष में प्रशासन व पुलिस व्यवस्था के प्रति अविश्वास तथा आक्रोश उत्पन्न होने की प्रबल सम्भावना रहती है। कई दिनों तक पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण यथा वाह्य परीक्षण, आन्तरिक परीक्षण, एक्स–रे, स्लाइड परीक्षण तथा सप्लीमेन्ट्री मेडिकल रिपोर्ट पूर्ण न हो पाने के कारण पीड़िता को कहॉ रखा जाये, इसकी भी व्यवहारिक समस्या रहती है।

1. डीजी परिपत्र–03/2013 दिनांक 17.01.2013
2. डीजी परिपत्र–68/2015 दिनांक 07.10.2015
3. डीजी परिपत्र–39/2021 दिनांक 06.10.2021
4. डीजी परिपत्र–40/2021 दिनांक 20.10.2021

अतः महिला सम्बन्धी अपराधों की पीड़िताओं के तत्काल चिकित्सीय परीक्षण कराने एवं तत्परतापूर्वक विवेचनात्मक कार्यवाही सम्पादित करने हेतु निम्नांकित बिन्दुओं पर अनुपालन व समयबद्ध कार्यवाही अपेक्षित है –

- कमिश्नरेट/जनपद में महिलाओं के प्रति अपराध, उनके प्रति संवेदनशीलता तथा विधिक ज्ञान के सम्बन्ध में समस्त विवेचकों व पुलिस कर्मियों को जागरूक, सतर्क एवं व्यावसायिक रूप से दक्ष बनाने हेतु नियमित ब्रीफिंग, कार्यशालाओं का आयोजन एवं विधि विशेषज्ञों के व्याख्यान के कार्यक्रम आयोजित कराये जायें। महिला सम्बन्धी अपराध के विवेचकों, महिला पुलिस कर्मियों, महिला हेल्प डेस्क पर नियुक्त कर्मियों तथा थाना कार्यालय में नियुक्त समस्त कर्मियों को महिलाओं से सम्बन्धित अपराध में बिना किसी विलम्ब के तत्परतापूर्वक कार्यवाही करने हेतु स्पष्ट रूप से निर्देशित किया जाये। इसके अनुपालन में शिथिलता, स्वेच्छाचारिता व लापरवाही प्रदर्शित करने वाले कर्मियों को चिन्हित कर उनके विरूद्ध दण्डात्मक/विभागीय कार्यवाही करायी जाये।

- कमिश्नरेट/जनपद में प्रत्येक माह जनपद न्यायाधीश, जिला मजिस्ट्रेट, जनपद पुलिस प्रभारी, मुख्य चिकित्साधिकारी, संयुक्त निदेशक, अभियोजन एवं अन्य सम्बन्धित अधिकारियों की मॉनिटरिंग सेल बैठक आयोजित की जाती है। इस बैठक में पीड़िताओं के चिकित्सीय परीक्षण में होने वाले विलम्ब का विषय अवश्य उठाया जाये। प्रायः अस्पताल में महिला चिकित्सक उपलब्ध न होने, रात्रि में महिला चिकित्सक उपलब्ध न होने, एक्स–रे मशीन क्रियाशील न होने, सप्लीमेन्ट्री मेडिकल रिपोर्ट समय से तैयार न होने तथा एक ही अस्पताल में चिकित्सीय परीक्षण सुविधा होने जैसी समस्याओं के कारण चिकित्सकीय

परीक्षण मे विलम्ब होता है। उक्त समस्त बिन्दुओं पर मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से संज्ञानित कराते हुये इसका स्थायी समाधान कराते हुये लिखित आदेश कराया जाये, जिससे विवेचकों तथा पीड़िताओं को चिकित्सीय परीक्षण हेतु ले जाने वाली महिला पुलिस कर्मियों के समक्ष किसी प्रकार की भ्रम की स्थिति न रहे तथा पीड़िता का सम्पूर्ण चिकित्सकीय परीक्षण शीघ्रता से कराया जा सके।

➢ महिलाओं के विरूद्ध घटित होने वाले अपराधों विशेषकर बलात्कार (लैंगिक अपराध) की घटनाओं में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 164(ए) का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये। 164(ए) दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्राविधानों के अनुसार पीड़िता का तत्काल चिकित्सीय परीक्षण एवं आवश्यकतानुसार चिकित्सीय उपचार भी कराया जाये।

<u>164(ए) दण्ड प्रक्रिया संहिता में बलात्संग पीड़िता के चिकित्सीय परीक्षण के सम्बन्ध में उल्लिखित है</u>–

- "जहां ऐसे प्रक्रम के दौरान जब बलात्संग या बलात्संग करने का प्रयत्न करने के अपराध का अन्वेषण किया जा रहा है, उस स्त्री के शरीर की जिसके साथ बलात्संग किया जाना या करने का प्रयत्न करना अभिकथित है, किसी चिकित्सा विशेषज्ञ से परीक्षा कराना प्रस्थापित है, वहां ऐसी परीक्षा सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा चलाये जा रहे किसी अस्पताल में नियोजित रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा और ऐसे व्यवसायी की अनुपस्थिति में किसी अन्य रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा ऐसी स्त्री की सहमति से की जायेगी और ऐसी स्त्री को ऐसा अपरध किये जाने से सम्बन्धित इत्तिला प्राप्त होने के समय से 24 घण्टे के भीतर ऐसे रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी के पास भेजा जायेगा।

- वह रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी जिसके पास ऐसी स्त्री भेजी जाती है, बिना किसी विलम्ब के उसके शरीर की परीक्षा करेगा और एक परीक्षा रिपोर्ट तैयार करेगा।

- रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी बिना विलम्ब के रिपोर्ट अन्वेषण अधिकारी को भेजेगा जो उसे धारा 173 में निर्दिष्ट मजिस्ट्रेट को उस धारा की उपधारा (5) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट दस्तावेजों के भाग रूप में भेजेगा।"

➢ दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 164(ए) के समस्त बिन्दुओं का अध्ययन कर उसका अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये। इसके अन्तर्गत बलात्कार की पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण 24 घण्टे के अन्दर उसकी स्वयं की सहमति या अभिभावक की सहमति से कराया जायेगा–

➢ महिला सम्बन्धी अपराध (विशेषकर लैंगिक अपराध/बलात्कार) की घटना में जनपदीय फील्ड यूनिट/विधि विज्ञान प्रयोगशाला की टीम को सम्मिलित करते हुये अत्यंत सूक्ष्मता से घटनास्थल का निरीक्षण सम्पादित किया जाये। घटना से सम्बन्धित समस्त साक्ष्य व भौतिक प्रदर्श अत्यंत सावधानी से संकलित किया जाये। पीड़ित महिला के अन्तः वस्त्र उसकी सहमति से यथाशीघ्र सुरक्षित कर परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला प्रेषित किया जाये।

- महिला सम्बन्धी अपराध की पीड़िता को किसी भी दशा में थाने पर नहीं रखा जायेगा। मा0 न्यायालय से विधिक सुपुर्दगी सम्बन्धी आदेश तत्परतापूर्वक समुचित पैरवी करते हुये कराया जाये। यदि आवश्यकता पड़ती है तो पीड़ित महिला को महिला संरक्षण गृह, अस्पताल अथवा विधिक संरक्षक के घर ही रूकवाया जाना चाहिये।

- यदि पीड़िता 18 वर्ष की आयु से कम की है तो विवेचक द्वारा नियमानुसार तत्काल जनपद की बाल कल्याण समिति (CWC) को अवगत कराते हुये उनका समुचित निर्देशन प्राप्त किया जायेगा। पाक्सो अधिनियम–2012 एवं पाक्सो नियमावली–2020 के उपबन्धों का पूर्णतया पालन करते हुये ही समुचित कार्यवाही की जाये।

अतः आप सभी से अपेक्षा की जाती है कि महिलाओं से सम्बन्धित घटित अपराधों के परिप्रेक्ष्य में उपरोक्त निर्देशों तथा इस मुख्यालय द्वारा पूर्व में निर्गत निर्देशों/परिपत्रों का कड़ाई से अक्षरशः अनुपालन करना/कराना सुनिश्चित करें, जिससे पीड़ित पक्ष को न्याय मिल सके, साथ ही महिलाओं से सम्बन्धित अपराधों के माननीय न्यायालय में प्रचलित वादों की प्रभावी पैरवी एवं अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाये, जिससे दोषियों को सजा दिलायी जा सके।

भवदीय,

(देवेन्द्र सिंह चौहान)

समस्त पुलिस आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
प्रभारी जनपद, उत्तर प्रदेश।

22/9/2021

प्रतिलिपिः निम्नांकित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवे/अपराध/महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन/अभियोजन उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।